



जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों से लोग अपना घर छोड़कर जाने की विचारों हैं

# सीमा सन्देश

संस्थापक स्व. श्री कमल नयन शर्मा

शक्तिशाली-निष्पक्ष-शांतिप्रिय



कुल्लू में विश्व प्रसिद्ध दहाहरा उत्सव में शामिल लोगों का समूह

## तीस गांव खाली कराए

### » सीमा पर पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी जारी

जम्मू।

सीमावर्ती क्षेत्रों में खून-खराबा करने क्री रणनीति के तहत पाकिस्तान ने मंगलवार सुबह तक भारी गोलाबारी कर कहर बरपाया। 40 भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर की गई गोलाबारी में 11 और ग्रामीण घायल हो गए। करीब 30 गांव के लोग पलायन कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। भारतीय सुरक्षाबलों ने पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। बकरीद के दिन से तेज हुई गोलीबारी में अब तक पांच लोगों की जान जा चुकी है जबकि 44 घायल हुए हैं।



अरनिया में गोलीबारी से क्षतिग्रस्त सड़क

### घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं दो हजार आतंकवादी : सेना

बर्द बिली। सेना के अनुसार नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर पाकिस्तान अधिकतम करमीर (पीओके) में दो हजार से अधिक आतंकवादी भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने का इंतजार कर रहे हैं। सेना जून के अनुसार इन आतंकवादियों का वहां के 20 आतंकवादी शिविरों में उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सेना के जवान और दूसरे सीमा सुरक्षा बल हलात पर 24 घण्टे घुसपैठ का इंतजार @ 11

इलाकों को निशाना बनाया। अरनिया के साथ लगते सभी गांव खाली हो गए और लोगों को सरकारी स्कूलों व तीन राहत शिविरों में उधरया गया। दोपहर बाद पुंछ के बलनोई इलाके में भी भारी गोलीबारी की गई। घायलों को जम्मू के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच जम्मू में डेरा डाले बीएसएफ के डीजी डीके पाठक ने सीमांत क्षेत्रों का दौरा कर गोलाबारी से उपजे हालात का जायजा लिया। उन्होंने जवानों को निर्देश दिए कि सीमांतवासियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में पूरा सहयोग दिया जाए। उनके साथ जम्मू-करमीर पुलिस के डीजी के. राजेंद्रा → शेष तीस गांव @ 11

**CGR** **दियावली ऑफर**  
50% डिस्काउंट से अपनी दुकान खोलें।  
सम्पर्क नं. : 0154-2466163  
6वां फ्लोर, सी.जी.आर. सेंटर, श्री गंगानगर (राज.)

### « खबरें फटाफट »

- देश**
- बिहार के किसानगढ़ में गुट्टय संघर्ष हिंसक हुआ। वाहन फूटे, कर्पूर लगा
- दो बेटों की हत्या कर तलाकशुदा पिता ने आत्महत्या की
- सुपारी तेकर हत्या करने वाला मिठेह दिल्ली पुलिस ने पकड़ा
- हॉकी के जादूगर ध्यानचंद पर फिल्म बनेगी
- छत्तीसगढ़ में बीस आतंकवादियों ने हथियार डाले
- महाराष्ट्र में बस नदी में गिरी. आठ श्रद्धालुओं की मौत
- दिल्ली के पहलवान में 23 लाख रुपए की लूट

- प्रदेश**
- राज्य में मिलावट के खिलाफ अभियान आज से
- कैदियों के लिए अनोखी पहल, व्यवहार अच्छा तो गऊओं की सेवा का मौका
- महलौत सरकार के 2200 नवसृजित पदों पर नई सरकार ने फैसला चलाई
- राजस्थान में दो सड़क हादसे, पांच की मौत
- छोटा में फिर बिगड़ी मिली हस्पतालों की दवा, मंत्री फिर 'धर्मशर' हुए
- सातार में तपस्वी मेला सम्पन्न

## महाराष्ट्र में गरजे मोदी 'कांग्रेस-एनसीपी के पाप को धोने का वक्त आ गया है'

जलगांव। महाराष्ट्र में कांग्रेस-राकांपा की सरकारों के भ्रष्टाचार में डूबे रहने के लिए आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि इनके 15 साल के पाप को धोने

## सेल टैक्स द्वारा दीपावली पर जबरन वसूली

श्रीगंगानगर। जिले में वाणिज्य कर विभाग द्वारा भारी भ्रष्टाचार का आलम है। सुरतगढ़, जैतसर, श्रीविजयनगर, रामसिंहपुर, अनूपगढ़, पतरोड़ा, घडसाना, रावला, 365 हेड व अन्य जगहों पर जबरन सेल टैक्स वसूली की जा रही है। व्यापारियों ने बताया कि सुरतगढ़ के वरिष्ठ अधिकारी तथा अनूपगढ़ व श्रीविजयनगर वाणिज्य व्यवसाय के हिसाब से तय कर रखी है राशि नजराना देने वालों को दो

## जयललिता को बेल नहीं जेल

■ राहत का आधार नहीं : हाइकोर्ट  
■ सजा निलम्बित करने से भी इनकार



जयललिता

बेंगलूर। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में चार साल की सजा पाने वाली अनादमुक प्रमुख जे जयललिता को कर्नाटक उच्च न्यायालय से मंगलवार को राहत नहीं मिली। इस अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। जयललिता अब इस फैसले को संभवतः बुधवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सकती हैं। खचाखच भरे अदालत कक्ष में फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति एवी चंद्रशेखर ने कहा कि जमानत देने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और इससे आर्थिक असंतुलन पैदा होता है। साथ ही → शेष जयललिता को @ 11

## गंगानगर के आरओबी निर्माण पर उच्च न्यायालय की मौखिक रोक

■ मुख्य सचिव के यहां हुई बैठक की रिपोर्ट मांगी  
■ अगली तारीख 29 अक्टूबर को आगे बढ़ेगी सुनवाई

श्रीगंगानगर।

राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने मौसम विभाग से करणी भाग की ओर जाने वाले फाटक पर बनोये जा रहे ओवरब्रिज का काम रोक दिया है। उच्च न्यायालय की जस्टिस पीके लोहरा की सदस्यता वाली एकल पीठ ने इस रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक मौके पर कुछ न किया जाये। गोपीचंद बनाम राज्य याचिका में आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट लेखराज मेहता तथा एडवोकेट रमित मेहता परवी के लिए पेश हुए। सरकार की ओर से सरकारी एडवोकेट पुष्पेंद्र सिंह भाटी की अनुपस्थिति में उनके सहायक, सरकारी एडवोकेट सज्जन सिंह पेश हुए। इस

रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण से कृषि अनुसंधान केंद्र की भूमि इसके अधीन आने और कृषि सम्बंधी अनुसंधान कार्य चौपट होने → शेष गंगानगर के @ 11

### मौके पर कुछ न हो ऐसे आदेश दिये हैं

मामले में पेरवी के लिए पहले सरकारी एडवोकेट सज्जन सिंह ने 'सीमा सन्देश' ने फोन पर बात की। उन्होंने बताया कि सम्बंधित अधिकारियों की व्यक्ति शः उपस्थिति आज की तारीख पेशी पर आवश्यक नहीं थी, न ही न्यायालय ने उनकी बुलाया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने मुख्य सचिव के यहां हुई बैठक की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लाने के लिए मांगी। चूँकि पिछली तारीख के समय → शेष मौके पर @ 11